134/2016

अपील सूचना अधिकार संख्या 134/2016 अन्वानी श्री सुरेन्द्र पाल पुत्र श्री आदराम निवासी चक 17 एमएल पठानवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22-11-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुरेन्द पाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्दपाल ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2016 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

(1)– चक 17 एम एल पठानवाला गांव की आबादी भूमि का नक्शा व विवरण उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
(2)– गांव चक 16 एम एल एवं भटठा कॉलोनी गांव की आबादी भूमि का नक्शा एवं पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाने का कष्ट करे।
(3)– गांव चक 17 एम एल पठानवाला एवं 16 एम एल की गौचर भूमि एवं जोहड पायतन की भूमि का पूर्ण विवरण दिलाने का कष्ट करे।

अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र पाल द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा बार बार तहसील कार्यालय में सम्पर्क करने के बावजूद सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचना दिलवाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को अपने कर्तव्यों की अवहेलना हेतू आवेदन प्रस्तुति की दिनांक से 250 रूपये से दण्डित किया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में तहसीलदार (राजस्व) भू अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 3155 दिनांक 31.08.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ./सू.का.अधि.अधि. 2005/2016/2256 दिनांक 20.07.2016 के तहत राजस्व रिकार्ड के अनुसार उपलब्ध करवाई जा चुकी है। ग्राम पंचायत से संबंधित सूचना ग्राम पंचायत ख्यालीवाला से प्राप्त करने के लिए लिखा गया है।

तहसीलदार (राजस्व) भू अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 भू.अ./सू.का. अधि.अधि. 2005/ 2016/2256 दिनांक 20.07.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

1– चक 17 एमएल पठानवाला गांव की आबादी का नक्शा ग्राम पंचायत ख्यालीवाला से प्राप्त करें।
2– चक 16 एमएल एवं भटठा कोलोनी की आबादी भूमि का नक्शा एवं पूर्ण विवरण का ग्राम पंचायत ख्यालीवाला से प्राप्त करें।
3– गांव चक 17 एमएल पठानवाला एवं 16 एमएल की गोचर भूमि एवं जोहड पायतन की भूमि का विवरण शून्य है। यानि कि मुताबिक रिकार्ड गोचर भूमि एवं जोहड पायतन की भूमि नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त 3 बिन्दुओ की सूचना तहसीलदार, श्रीगंगानगर से चाही गई थी जिसमें बिन्दु सं0 3 की सूचना तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी उसी सूचना को नियमानुसार उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य है जिसका अभिलेख उसके पास उपलब्ध हो और किसी निश्चित दस्तावेज के रूप में रखी गयी हो। चूंकि बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचनांओ का संबंध ग्राम पंचायत ख्यालीवाला से है जिसके संबंध अपीलार्थी को दिनांक 20.07.2016 को सूचित किया जा चुका है कि वह संबंधित ग्राम पंचायत ख्यालीवाला से सूचना प्राप्त करें। इसलिए अपीलार्थी को बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचना के संबंध में ग्राम पंचायत ख्यालीवाला के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 22.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर